



कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

झारखण्ड सरकार

कार्यालय, कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, राँची।

विज्ञापन संख्या – 01/2026-27

मानदेय / पारिश्रमिक के आधार पर मानव बल-फसल रक्षक की नियुक्ति

फसल सुरक्षा कार्यक्रम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में राँची जिला के पौधा संरक्षण केन्द्रों पर कुल 21 (इक्कीस) पद के लिए मानदेय/पारिश्रमिक के आधार पर मानव बल-फसल रक्षक की अस्थायी नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन हेतु अनिवार्य योग्यता निम्न है –

1. मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक/माध्यमिक (10th) उत्तीर्ण।
2. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत कृषि/उद्यान निदेशालय अंतर्गत न्यूनतम एक पाँच दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त होना अनिवार्य।
3. स्थानीय भाषा की जानकारी अनिवार्य होगा।
4. साइकिल चलाने एवं पेड़ पर चढ़ने की दक्षता।

विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं आवेदन प्रपत्र www.ranchi.nic.in एवं www.sameti.org के आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकता है।

ह0/—

कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, राँची
— सह— सदस्य सचिव,
जिला स्तरीय चयन समिति।



कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, (कृषि प्रभाग)

कार्यालय:-कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, राँची।

विज्ञापन-सह-विवरणिका

राँची जिलान्तर्गत फसल रक्षक के पद पर मानदेय/पारिश्रमिक के आधार पर चयन हेतु

विज्ञापन संख्या – 01/2026-27

(1). प्रस्तावना :-

राज्य में फसल सुरक्षा एवं पौधा संरक्षण संबंधी कार्यों को स्थानीय स्तर पर प्रभावी रूप से संचालित करने के उद्देश्य से फसल रक्षक के पद पर मानदेय/पारिश्रमिक के आधार पर मानव बल चयन किया जाना है।

इस विज्ञापन के माध्यम से राँची जिला के विभिन्न प्रखंडों में स्थित पौधा संरक्षण केन्द्रों में कार्य करने हेतु 21 फसल रक्षक का चयन मानदेय/पारिश्रमिक के आधार पर किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया संबंधित विभागीय आदेशों, स्वीकृत पदों, जिला-स्तरीय आरक्षण रोस्टर तथा इस विज्ञापन में निर्धारित शर्तों के अधीन संपन्न होगी।

अभ्यर्थी इस विज्ञापन की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 14.11.2026 शाम 05:00 बजे तक होगी।

(2) सामान्य विवरण :-

क्र० सं०	पदनाम	पद की प्रकृति	नियुक्ति अवधि	मसिक मानदेय
01	फसल रक्षक	मानदेय/पारिश्रमिक आधारित	11 महीना (अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो पहले हो)	11851/- रुपये मात्र

यह नियुक्ति पूर्णतः मानदेय/पारिश्रमिक आधारित केवल 11 माह के लिए है एवं स्थायीकरण अथवा नियमित सरकारी कर्मचारी के समान सेवा लाभ का कोई स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(3) रिक्तियों का विवरण :-

क्र० सं०	कोटिवार रिक्ति					कुल रिक्ति
01	अनारक्षित	अ०ज०जा०	अ०जा०	अ०पि०व०	आ०क०व०	
	09	07	01	02	02	21

अनारक्षित- (UR), अ०ज०जा० - अनुसूचित जनजाति (ST), अ०जा० - अनुसूचित जाति (SC), अ०पि०व० - अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC), आ०क०व० - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)

नोट :-

(i) रिक्तियों की संख्या प्रशासनिक आवश्यकता एवं सक्षम प्राधिकार के निर्णय के अनुसार परिवर्तित की जा सकती है।

(ii) पदों का कोटिवार विवरण राँची जिला हेतु लागू आदर्श आरक्षण रोस्टर के आधार पर है।

(4) अनिवार्य योग्यता :-

- I. मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक/माध्यमिक (10th) उत्तीर्ण।
- II. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत कृषि/उद्यान निदेशालय अंतर्गत न्यूनतम एक पाँच दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त होना अनिवार्य।
- III. स्थानीय भाषा की जानकारी अनिवार्य है।
- IV. साइकिल चलाने एवं पेड़ पर चढ़ने की दक्षता होनी चाहिए।
- V. राँची जिला का स्थानीय निवासी।

(5) फसल रक्षक का कार्य :- फसल कीट व्याधि सर्वेक्षण, कीटनाशकों का छिड़काव, कृषक प्रशिक्षण एवं जागरूकता के साथ कार्यालय द्वारा समय-समय पर आवंटित अन्य कार्य का सम्पादन।

(6) आयु सीमा (01.04.2026 के आधार पर) :-

मैट्रिक अंक पत्र/प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही आयु निर्धारण हेतु स्वीकार्य होगा। आयु की गणना निर्धारित तिथि के आधार पर की जाएगी।

न्यूनतम आयु : 18 वर्ष

अधिकतम आयु सीमा : -

1.	अनारक्षित (UR) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	35 वर्ष
2.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची -I) (EBC-I) पुरुष	37 वर्ष
3.	महिला [अनारक्षित (UR) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची -I) (EBC-I)]	38 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) (पुरुष एवं महिला)	40 वर्ष

नोट :- भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी।

भूतपूर्व सैनिक होने सम्बंधित प्रमाण पत्र यथा समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(7) चयन प्रक्रिया एवं अंक-विभाजन :-

- I. प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की निर्धारित पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर संवीक्षा की जाएगी।
- II. ऐसे आवेदन, जिनमें आवश्यक विवरण उपलब्ध नहीं हैं, आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं हैं, अनिवार्य अर्हता पूरी नहीं होती हैं, अथवा जिनमें गलत/भ्रामक जानकारी दी गई है, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। केवल वैध एवं पात्र आवेदन वाले अभ्यर्थियों का चयन हेतु अग्रेतर मूल्यांकन किया जाएगा, जो कि मैट्रिक, इंटरमिडिट, एवं स्नातक तथा 05 दिवसीय प्रशिक्षण एवं उससे अधिक प्रशिक्षण अवधि के आधार पर तदनुसार किया जायेगा। सामान्य हिन्दी एवं स्थानीय भाषा की प्रवीणता का मूल्यांकन सक्षम प्राधिकार/चयन समिति के विवेकानुसार किया जा सकता है।
- III. मेधा निर्धारण हेतु मैट्रिक के प्राप्तांको को आधार माना जाएगा परंतु सक्षम प्राधिकार के निर्देशानुसार इंटरमीडिएट एवं स्नातक स्तर के प्राप्त अंको को भी निर्धारित अनुपात में भारांक दिया जा सकेगा।

- IV. मेधा सूची में समान अंक होने पर जिस प्रखण्ड के पौधा संरक्षण केन्द्र के लिये चयन किया जा रहा है उसकी स्थानीयता एवं अन्य सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित बिन्दु के आधार पर प्राथमिकता निर्धारण (टाई ब्रेकिंग) किया जायेगा।

चयन हेतु महत्वपूर्ण बिंदु :-

1. CGPA/ग्रेड होने की स्थिति में संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Conversion Formula के अनुसार प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा।
2. एक ही स्तर की एक से अधिक डिग्री/योग्यता के लिए अतिरिक्त अंक नहीं दिए जायेंगे।
3. प्रशिक्षण अवधि की गणना प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित पूर्ण प्रशिक्षण दिवस के आधार पर की जायेगी।
4. केवल कृषि विभाग अंतर्गत कार्यरत कृषि, उद्यान निदेशालय, अंतर्गत संचालित कार्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा निर्गत प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
5. स्थानीय भाषा का ज्ञान अनिवार्य पात्रता होगा। अभ्यर्थी को स्थानीय भाषा की ज्ञान होने का घोषणा आवेदन पत्र में करना होगा। चयन समिति/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार स्थानीय भाषा संबंधित प्रमाण पत्र की मांग की जा सकेगी अथवा भाषा-परीक्षण लिया जा सकता है।
6. साइकिल चलाने एवं पेड़ पर चढ़ने की क्षमता – फसल रक्षक के कार्य की प्रकृति को देखते हुए अभ्यर्थी का साइकिल चलाने एवं पेड़ पर चढ़ने में सक्षम होना आवश्यक होगा। यदि चयन समिति को आवश्यक प्रतीत हो, तो प्रारूपिक मेधा सूची तैयार होने के पश्चात इनके संबंध में व्यावहारिक परीक्षण लिया जा सकता है। परीक्षण में अपेक्षित क्षमता न पाए जाने पर अभ्यर्थी को अंतिम चयन हेतु अयोग्य माना जा सकेगा।
7. यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण पर चयन समिति/सक्षम प्राधिकारी को अभ्यर्थियों की पात्रता, योग्यता अथवा कार्य-दक्षता के समुचित आकलन हेतु लिखित अथवा मौखिक परीक्षा/परीक्षण आवश्यक प्रतीत होता है, तो ऐसी परीक्षा/परीक्षण आयोजित किया जा सकता है।
8. अंतिम चयन से पूर्व चयनित/औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा।
9. चरित्र प्रमाण-पत्र को अंतिम रूप से चयनित/औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थी द्वारा योगदान के समय अथवा दस्तावेज सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. अभ्यर्थी को आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित (Self attested) छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा—
 1. मैट्रिक/10वीं का प्रमाण -पत्र एवं अंक-पत्र।
 2. इंटरमीडिएट/10+2 का प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र यदि उपलब्ध हो।
 3. स्नातक का प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र, यदि उपलब्ध हो।

4. न्यूनतम 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र एवं अतिरिक्त प्रशिक्षण-पत्र, यदि कोई हो।
5. स्थानीय भाषा संबंधी प्रमाण-पत्र, यदि उपलब्ध हो।
6. जाति प्रमाण-पत्र, जहाँ लागू हो।
7. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत रॉंची जिला अन्तर्गत वैध स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र।
8. EWS प्रमाण-पत्र, जहाँ लागू हो।
9. जन्मतिथि के प्रमाण हेतु मैट्रिक प्रमाण-पत्र।
10. फोटोयुक्त पहचान-पत्र। (आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेन्स/पैन कार्ड)
11. चरित्र प्रमाण-पत्र। (यदि उपलब्ध हो, अन्यथा चयन/औपबंधिक चयन पश्चात प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।)
12. अन्य कोई प्रमाण-पत्र, जो विज्ञापन/सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो।

नोट :-आवेदन-पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रतियों संलग्न नहीं किए जाने पर आवेदन अपूर्ण माना जायेगा। मूल प्रमाण-पत्रों का सत्यापन बाद में निर्धारित तिथि पर किया जाएगा।

(8). चयन एवं योगदान :-

कोटिवार मेधा सूची लागू आरक्षण नियमों के अनुसार तैयार की जाएगी एवं अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची निर्धारित स्थल पर प्रकाशित की जायेगी। योगदान केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन ही स्वीकार किया जाएगा तथा निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने पर चयन/अभ्यर्थिता स्वतः समाप्त हो जायेगी है एवं रिक्ति को प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा।

पौधा संरक्षण केन्द्र/उप केन्द्र/प्रखंड के आवंटन हेतु अभ्यर्थी के स्थानीयता सम्बंधित प्रमाण-पत्र में अंकित निवास प्रखंड को प्राथमिकता एवं अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में भरी गयी प्राथमिकताओं के आधार पर आवंटन किया जाएगा परन्तु इस हेतु अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत किया जा सकेगा एवं भविष्य में आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकेगा।

(9). स्थानीय निवासी एवं आरक्षण:-

सभी अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत वैध स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को सम्बंधित जाति/कोटि का सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो कि झारखंड सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार होना चाहिए।

(10) सामान्य शर्तें एवं महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. आवेदन-पत्र के साथ सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा अंतिम चयन से पूर्व मूल प्रमाण-पत्रों का सत्यापन किया जाएगा।

2. चयन प्रक्रिया सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति की देख-रेख में संपन्न होगी।
3. किसी भी चरण पर अभ्यर्थी की पात्रता एवं प्रमाण-पत्रों की पुनः जाँच की जा सकती है।
4. गलत सूचना, तथ्य छिपाने अथवा फर्जी प्रमाण-पत्र पाए जाने पर चयन के बाद भी संविदा समाप्त की जा सकती है एवं अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
5. निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
6. चयन सूची में नाम आ जाना नियुक्ति को स्वतः एवं अपरिवर्तनीय अधिकार नहीं देगा।
7. नियमित नियुक्ति होने, स्वीकृत पद समाप्त होने अथवा प्रशासनिक आवश्यकता होने पर संविदा समाप्त की जा सकती हैं।
8. सक्षम प्राधिकारी को प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार पदों की संख्या, कार्यस्थल /PPC/Sub-PPC आवंटन अथवा चयन प्रक्रिया के किसी चरण में आवश्यक परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
9. सक्षम प्राधिकारी को अपरिहार्य/प्रशासनिक कारणों से विज्ञापन अथवा चयन प्रक्रिया को स्थगित या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
10. ऐसे परिवर्तन अथवा रद्दीकरण के आधार पर किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति अथवा क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।
11. आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी, एवं आवेदन समर्पित कराने के पश्चात इसमें कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
12. चयन/परीक्षा/परिणाम/दस्तावेज सत्यापन संबंधी सूचना अधिकृत माध्यम से www.ranchi.nic.in /www.sameti.org बेबसाइट एवं कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रकाशित की जाएगी।
13. अभ्यर्थी निर्धारित समय पर प्रकाशित सूचनाओं का अवलोकन करते रहे।
14. चयन के संबंध में किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा किए गए आश्वासन/दावे के लिए कार्यालय/विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
15. फसल रक्षक को विभाग/सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कार्यों का पालन करना होगा।
16. चयन हेतु घोषित सफल अभ्यर्थियों की सूची पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।

17. आवेदन जमा करने का पता :- आवेदक पूर्ण रूप से भरा आवेदन-पत्र स्पीड पोस्ट/निबंधित पोस्ट या स्वयं हाथो-हाथ दिनांक 14.11.2026 संध्या 05:00 बजे तक जमा कर सकते हैं। उक्त तिथि एवं समय के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आवेदन हेतु पता :- कार्यालय, कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, राँची,
संयुक्त जिला कृषि भवन, कृषि भवन परिसर
काँके रोड, राँची । पिन कोड – 834008

ह0/—

कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, राँची
— सह— सदस्य सचिव,
जिला स्तरीय चयन समिति।

कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, (कृषि प्रभाग)

विज्ञापन-सह-विवरणिका

राँची जिलान्तर्गत फसल रक्षक के पद पर मानदेय के आधार पर चयन हेतु आवेदन-पत्र

विज्ञापन संख्या – 01/2026-27

निर्देश :- अभ्यर्थी आवेदन-पत्र के सभी कॉलम स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से अपने हस्तलेख/Handwriting में भरे एवं (✓) का निशान लगाएं तथा विज्ञापन में निर्धारित आवश्यक प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें।

पासपोर्ट आकार
का नवीनतम
स्व-अभिप्रमाति
फोटो चिपकाएँ

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :-

.....

2. आवेदक का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) :-

.....

3. आवेदक के पिता/पति का नाम :-

.....

4. लिंग : (✓ का निशान करें) : (☐ पुरुष) (☐ महिला) (☐ अन्य)

5. जन्म तिथि : (मैट्रिक प्रमाण पत्र में दर्ज तिथि ही मान्य होगी) :- / /

6. आयु (01.04.2026 के आधार पर) वर्ष..... माह..... दिन.....

7. आरक्षण कोटि – ☐ अनारक्षित / ☐ अनुसूचित जनजाति / ☐ अनुसूचित जाति / ☐ अत्यंत पिछड़ा वर्ग / ☐ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग :-

8. राष्ट्रियता :-

9. क्या आप आरक्षण का दावा कर रहे हैं (✓ का निशान करें) (☐ हाँ / ☐ नहीं)

10. स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के अनुसार जिला का नाम :-

11. स्थानीय निवासी प्रमाण- पत्र के अनुसार प्रखण्ड का नाम :-

12. स्थानीय भाषा/भाषाओं के नाम (जिसमें प्रवीणता है।) :-

13. क्या स्थानीय भाषा संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध है : (✓ का निशान करें) (☐ हाँ / ☐ नहीं)

यदि हाँ, प्रमाण -पत्र का विवरण :-

14. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न करें) –

परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड / विश्वविद्यालय	प्राप्त अंक	कुल अंक	प्रतिशत
मैट्रिक / 10वीं					
इंटरमीडिएट / 10+2					
स्नातक					

15. मैट्रिक में हिन्दी विषय के अंक (यदि लागू हो): कुल अंक प्राप्त अंक.....

16. प्रशिक्षण का विवरण :-

क्या कृषि अथवा उद्यान निदेशालय/विज्ञापन में निर्धारित संस्थान से न्यूनतम एक 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त है ? (✓ का निशान करें):- ☐हाँ / ☐ नहीं

क्र० सं०	प्रशिक्षण का विवरण	अवधि (पूर्ण दिवस)	प्रशिक्षण संस्था	प्रमाण – पत्र संख्या / दिनांक
01	अनिवार्य प्रशिक्षण (पाँच दिवसीय)			
02	अतिरिक्त प्रशिक्षण, यदि कोई हो			
03	अतिरिक्त प्रशिक्षण, यदि कोई हो			
04	अतिरिक्त प्रशिक्षण, यदि कोई हो			
05	अतिरिक्त प्रशिक्षण, यदि कोई हो			
06	अतिरिक्त प्रशिक्षण, यदि कोई हो			

❖ अधिक प्रशिक्षण होने पर अलग पेज संलग्न कर तालिका भरें।

17. अन्य आवश्यक जानकारी

- क्या आप साइकिल चलाने में सक्षम हैं (✓का निशान करें) :- ☐ हाँ / ☐ नहीं
- क्या आप पेड़ चढ़ने में सक्षम हैं (✓का निशान करें) :- ☐ हाँ / ☐ नहीं

18. आवेदक का आधार नंबर :-

19. आवेदक का मोबाईल नंबर :-
20. ई-मेल (यदि उपलब्ध हो) :-
21. आवेदक का स्थायी पता :-

.....

.....

22. आवेदक का पत्राचार का पता :-

.....

.....

- 23 . वांछित कार्यस्थल/प्रखंड की प्राथमिकता :

पदस्थापन हेतु प्राथमिकता क्रमवार (प्रखण्ड का नाम) : -

1.
2.
3.
4.
5.

नोट :- कार्यस्थल/प्रखंड का आवंटन विज्ञापन में निर्धारित प्रावधानों, उपलब्ध रिक्ति, आरक्षण मेधा क्रम, स्थानीयता एवं प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा। आवेदक द्वारा दी गई प्राथमिकता को अंतिम आवंटन का अधिकार नहीं माना जाएगा।

- (24) संलग्न प्रमाण-पत्रों की सूची (स्व- अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न) -

आवेदक द्वारा संलग्न प्रमाण-पत्रों के सामने निशान (✓) लगाएं एवं आवेदन पत्र के साथ निम्न क्रम में संलग्न करें :-

- ☐ 1. मैट्रिक/10वीं प्रमाण-पत्र एवं अंक - पत्र।
- ☐ 2. इंटरमीडिएट/10+2 प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र, यदि उपलब्ध हो।
- ☐ 3. स्नातक प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र, यदि उपलब्ध हो।
- ☐ 4. न्यूनतम 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र।
- ☐ 5. अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र, यदि कोई हो।

- ☐ 6. स्थानीय भाषा संबंधी प्रमाण-पत्र, यदि उपलब्ध हो।
- ☐ 7. वैध स्थानीयता से संबंधित प्रमाण-पत्र।
- ☐ 8. जाति प्रमाण-पत्र, जहाँ लागू हो।
- ☐ 9. EWS प्रमाण-पत्र, जहाँ लागू हो।
- ☐ 10. फोटोयुक्त पहचान – पत्र की प्रति (आधार कार्ड/वोटर आई डी/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड)
- ☐ 11. अन्य, यदि कोई हो :-

नोट :- चरित्र/आचरण प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक नहीं है। परन्तु अंतिम चयन/दस्तावेज सत्यापन/योगदान के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(25) घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन-पत्र में मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र/दस्तावेज वास्तविक एवं वैध हैं। यदि आवेदन में दी गई जानकारी गलत, भ्रामक अथवा तथ्य छिपाने वाली पाई जाती है अथवा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र फर्जी/अमान्य पाया जाता है, तो मेरी अभ्यर्थिता/चयन/संविदा सक्षम प्राधिकार द्वारा नियमानुसार समाप्त की जा सकती है।

मैं फसल रक्षक पद हेतु विज्ञापन में निर्धारित सभी शर्तों एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया प्रावधानों एवं शर्तों को स्वीकार करता/करती हूँ।

स्थान :-

दिनांक :-

अभ्यर्थी का नाम :-.....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर :-.....

नोट :-आवेदन सभी वांछित दस्तावेजों की प्रति समेत लिफाफा (12 x 9 इंच/A4 साईज) में बंद करके स्पीड पोस्ट/निबंधित पोस्ट/अथवा स्वयं हाथों-हाथ “कार्यालय कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, राँची, संयुक्त जिला कृषि भवन, कृषि भवन परिसर, काँके रोड, राँची” पर दिनांक 14.11.2026 शाम 05:00 बजे तक प्राप्त होना चाहिए।

लिफाफा पर “ मानदेय/परिश्रमिक आधारित फसल रक्षक हेतु आवेदन” एवं प्रखण्ड का नाम, अभ्यर्थी का नाम तथा पता अवश्य लिखेंगे।

केवल कार्यालय उपयोग हेतु

आवेदन प्राप्ति क्रमांक :-

आवेदन प्राप्ति दिनांक :-

पात्र/अपात्र :-

संविक्षक के हस्ताक्षर :-

टिप्पणी :-

.....

.